

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 241]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 3 अगस्त 2023—श्रावण 12, शक 1945

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2023

फा.क्र. 56-2023-3-निर्वा.नामा.-88.- भारत निर्वाचन आयोग की निम्नलिखित अधिसूचना सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है :-

1. सं.-429-म. प्र.-2023 (1), दिनांक 27 जुलाई 2023
2. No. 429-MP-2023 (1), Dated 27<sup>th</sup> July 2023
3. सं.-429-म. प्र.-2023 (2), दिनांक 02 अगस्त 2023
4. No. 429-MP-2023 (2), Dated 02<sup>nd</sup> August 2023

राजेश कुमार कौल, सचिव.

## भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

नई दिल्ली, दिनांक 27 जुलाई 2023-05 श्रावण, 1945 (शक)

### अधिसूचना

सं. 429 म. प्र.-2023 (1).-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13(ख) की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति से सम्बन्धित अपनी अधिसूचना संख्या 429-म.प्र.-2023 (1), दिनांक 07 जुलाई, 2023 में आगे संशोधन करता है, नामतः :-

- उक्त अधिसूचना की संलग्न सारणी के स्तम्भ (2) में, नीचे दिये गये विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (2) की प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी :-

### सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम (1)	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (2)
186-भगवानपुरा (अ.ज.जा.)	संयुक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर, खरगौन

आदेश से,  
हस्ता./-  
(अमित कुमार)  
सचिव,  
भारत निर्वाचन आयोग.

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 27<sup>th</sup> July 2023-05 Sravana, 1945 (Saka)

### NOTIFICATION

No. 429-MP-2023 (1).-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13B of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission hereby makes further amendments in its Notification No. 429-MP-2023(1), dated 07<sup>th</sup> July, 2023, relating to the appointment of Electoral Registration Officers of Assembly Constituencies in the State of Madhya Pradesh, namely:-

- In Column (2) of the Table appended to the said Notification, the existing entries against the name of Assembly Constituency mentioned below shall be substituted with the entries in the Column (2) of the Table appended below :-

### TABLE

No. & Name of Assembly Constituency (1)	Electoral Registration Officer (2)
186-Bhagwanpura (ST)	Joint Collector/ Deputy Collector, Khargone

By order,  
Sd./-  
(AMIT KUMAR)  
Secretary,  
Election Commission of India.

**भारत निर्वाचन आयोग**

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

नई दिल्ली, दिनांक 02 अगस्त 2023-11 श्रावण, 1945 (शक)

**अधिसूचना**

सं. 429-म. प्र.-2023 (2).-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13(ग) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित अपनी अधिसूचना संख्या 429-म.प्र.-2023 (2), दिनांक 07 जुलाई, 2023 में आगे संशोधन करता है, नामतः :-

- उक्त अधिसूचना की संलग्न सारणी के स्तम्भ (2) में, नीचे दिये गये विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (2) की प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी :-

**सारणी**

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
(1)	(2)
97-जबलपुर पूर्व (अ.जा.)	तहसीलदार, आधारताल, जबलपुर नायब तहसीलदार, आधारताल, जबलपुर.
98-जबलपुर उत्तर	तहसीलदार नजूल, कलेक्ट्रेट, जबलपुर नायब तहसीलदार नजूल, कलेक्ट्रेट, जबलपुर.
99-जबलपुर कैंट	तहसीलदार, रांझी, जबलपुर नायब तहसीलदार, रांझी, जबलपुर.

आदेश से,  
हस्ता./-  
(अमित कुमार)  
सचिव,  
भारत निर्वाचन आयोग.

**ELECTION COMMISSION OF INDIA**

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 2<sup>nd</sup> August 2023-11 Sravana, 1945 (Saka)**NOTIFICATION**

No. 429-MP-2023 (2).-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13C of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission hereby makes further amendments in its Notification No. 429-MP-2023(2), dated 07<sup>th</sup> July, 2023, relating to the appointment of Assistant Electoral Registration Officers of Assembly Constituencies in the State of Madhya Pradesh, namely:-

- In Column (2) of the Table appended to the said Notification, the existing entries against the name of Assembly Constituency mentioned below shall be substituted with the corresponding

entries in the Column (2) of the Table appended below:-

TABLE

No. & Name of Assembly Constituency (1)	Assistant Electoral Registration Officer (2)
97-Jabalpur Purba (SC)	Tehsildar, Adhartal, Jabalpur Nayab Tehsildar, Adhartal, Jabalpur.
98-Jabalpur Uttar	Tehsildar Najul, Collectorate, Jabalpur Nayab Tehsildar Najul, Collectorate, Jabalpur.
99-Jabalpur Cantt.	Tehsildar Ranjhi, Jabalpur Nayab Tehsildar Ranjhi, Jabalpur.

By order,  
Sd./-  
**(AMIT KUMAR)**  
Secretary,  
Election Commission of India.